आम्रमंजरी सी शगुन

चश्मा वाली मैडम चले डमाडम

रश्मि शर्मा, स्वतंत्र पत्रकार

चश्मा वाली मैडम, चले डमाडम... बार-बार इस दोहे को दुहराती लगभग पांच वर्ष की बच्ची शगुन...खूंटी जिले के निधिया गांव में कच्चे मिट्टी के आंगन में उछलकूद मचा रही थी. मुझे देखकर अपनी मां से बार-बार लिपट जाने वाली बच्ची का चेहरा अपनी मां से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था. उसकी मां का रंग बेहद गहरा और बच्ची गोरी चिट्टी...

मेरी आंखों में उठते सवाल को पहचानकर उसकी मां पुष्पा आईंद ने बच्ची को बाहर भेजा और बताने लगी. ये मेरी अपनी बच्ची नहीं. यह मुझे 2008, 17 मई को हुटूप जंगल में एक आम के पेड़ के पीछे झाड़ियों में मिली थी. लगभग छह महीने की खूबसूरत सी बच्ची, इसके शरीर पर चींटिंया रेंग रही थी. शरीर गंदगी में लिथड़ा पड़ा था.

सबसे पहले बच्चे के रोने की आवाज पर पुष्पा के भाई किशोर का ध्यान गया. एक बार तो वह डर गया. जाकर देखा तो बच्ची मिली...अधमरी. आसपास बच्ची की मां की खोज हुई...मगर वो नहीं मिली. तो आपसी सलाह मशविरे के बाद बच्ची को पुष्पा अपने घर ले आई. उस वक्त वह खुद गर्भवती थी, मगर बच्ची को सीने से लगाकर घर ले आई. उसके पति सामुइल भी इस फैसले में पुष्पा के साथ थे. बच्चे को जिंदा रखने के लिए माड़ में चीनी डालकर पिलाती थी.

दूसरे दिन जब खोजबीन की गई तो पता चला कि एक लड़की को रास्ते में देखा गया था, जो गोद में लापरवाही से बच्चे को लिए, खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए जंगल की ओर आ रही थी. वह लड़की पास के ही गांव की थी और कुछ माह पहले दिल्ली से काम करके वापस लौटी थी. बात उजागर हो गई. वह आदिवासी लड़की जिस पंजाबी के घर में काम करती थी, उसी का बच्चा पेट में लेकर आई थी और जग हंसाई के डर से छुपकर बच्चे को पैदा किया. कुछ दिनों तक पाला....जब लगा कि बात अब छुप नहीं पाएगी तो फेक दिया.

अब इस बच्ची को मां-बाप मिल गए हैं. स्कूल में पढ़ रही है. पुष्पा को ही अपनी मां समझती है. मगर गांव के बच्चे उसे ताने देते हैं कि वह आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसलिए उसकी मां उसे हॉस्टल में डालना चाहती है ताकि बच्ची के मन में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े.

शगुन की किस्मत अच्छी है, मगर ऐसी सबकी नहीं होती. निधिया की ही एक लड़की, जो दिल्ली कमाने गई थी, पांच माह के गर्भ के साथ वापस आई. लोकलाज और भविष्य को देखते हुए उसने अपना गर्भ गिरा दिया और वापस कमाने लौट गई महानगर.

यह एक और पहलू है मानव तस्करी या पलायन का, जो यहां से बाहर गई लड़कियों के साथ घटता है.

एटसेक के राज्य सचिव संजय कुमार मिश्र कहते हैं कि बिनब्याही माओं और उनके द्वारा महानगरों से लाए गए बच्चों की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है. उनका कहना है कि ये सभी लड़कियां शारीरिक शोषण का शिकार होती हैं. मिश्र कहते हैं, ज्यादातर लड़कियां दलालों के झांसे में आकर दिल्ली या दूसरे महानगर में मौजूद प्लेसमेंट एजेंसी पहुँच जाती हैं. सबसे पहले उनका शारीरिक शोषण वहां होता है. फिर जिन घरों में उन्हें काम करने भेजा जाता है, वहां पर वह शोषित होती हैं. दिल्ली रिटायर्ड कहकर इन लड़कियों को जहां समाज स्वीकार नहीं करता, वहीं सरकार भी इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में उदासीन है. इनके बदले चाल-ढाल के कारण खुद इन्हें भी पारंपरिक समाज में मिलकर रहने में परेशानी होती है. नतीजतन पलायन का सिलसिला जारी है. केन्द्र सरकार ने 1999 में ही इनके लिए स्वधार नामक आश्रय स्थली बनाने का निर्देश दिया था, परंतु दुर्भाग्यवश राज्य में ऐसे एक भी केन्द्र स्थापित नहीं किये जा सके. ऐसे में मुक्त करायी गई लड़कियों के बीच भटकाव जारी है.

दिल्ली में वैध 123, अवैध 11 सौ एजेंसियां

सिर्फ दिल्ली में इस तरह की 123 रजिस्टर्ड एजेंसिया हैं, जो प्लेसमेंट दिलाने का कार्य करती है. जबकि अवैध एजेंसियों की संख्या तकरीबन 1100 से भी अधिक है. जहां तक झारखंड की बात है, यहां एक भी ऐसी पंजीकृत एजेंसी नहीं है. बावजूद बिचौलिये कमीशन की चाह में प्रलोभन देकर किशोर-किशोरियों को फांसते हैं और महानगरों में कार्यरत एजेंसी के हवाले कर देते हैं. दूसरी बात आती है, ऐसी समस्याओं के आने पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का क्या रुख होता है. यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन सब मामलों यानी लड़की के गर्भवती होने, बच्चा गिराने या पैदा करने के बारे में गांव के लोगों की मानसिकता क्या है. ये लोग ऐसी स्थिति में परिजनों और उस लड़की के उपर जुर्माना ठोंक देते हैं. उस पर भी ये रकम कोई छोटी नहीं होती. ग्राम सभा वाले एक मीटिंग का आयोजन करते हैं जिसमें आसपास के करीब 10 गांवों के लोग बुलाए जाते है. मीटिंग में भुक्तभोगी लड़की का मामला पेश होता है और उसे दंड दिया जाता है. दंड की रकम 25 हजार से 75 हजार तक की होती है. उस पर से इस पैसे को लोग ग्राम सभा के फंड में जमा नहीं कराते या किसी सार्वजनिक कार्य में नहीं लगाते. इस रकम से वे दावत उड़ाते हैं. एक दिन मीट-भात का आयोजन होता है जिसमें आस पास के गांव वाले भी शामिल होते है. और उस भुक्तभोगी लड़की को माफी दे दी जाती है. अब जब सामाजिक तानाबाना ऐसा है तो क्या और कैसे बदलाव होगा...ये कहना कठिन है. अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गांव के अंदर के सभी फैसले का उत्तरदायित्व और अधिकार ग्राम सभा को सौंप दिया है....ऐसे में इस बात की बहुत संभावना है कि ग्राम स्तर पर भी चाहें तो पलायन जैसी चीजें रुक सकती हैं. बस मार्गदर्शन और एक उचित पहल की जरूरत है. साथ ही ऐसी लड़कियों और उनकी बच्चियों को संरक्षण मिलना चाहिए. सरकार ऐसे बच्चों को पढ़ाने और संरक्षण देने और परविरश की उचित व्यवस्था करे. साथ ही शोषण करने वाले पर सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान बने, दंड देने की व्यवस्था हो ताकि कोई इन चीजों पर रोक लग सके. शोषित लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए. उन्हें ये हिम्मत देनी चाहिए कि अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो पूरा समाज, गांव और कानून उनके साथ खड़ा है. गांव का विकास हो, समझ विकसित हो, तभी ऐसी चीजें रोकी जा सकती हैं. अब तक ऐसे कई मामले उजागर हो चुके हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हुई है, जिसे जमीन पर उतारा जा सके.

दंड की रकम 25 हजार से 75 हजार तक की होती है. उस पर से इस पैसे को लोग ग्राम सभा के फंड में जमा नहीं कराते या किसी सार्वजनिक कार्य में नहीं लगाते. इस रकम से वे दावत उड़ाते हैं. एक दिन मीट-भात का आयोजन होता है जिसमें आस पास के गांव वाले भी शामिल होते है.

(यह रिपोर्ट इनक्लूसिव मीडिया फैलोशिप 2013 के अध्ययन का हिस्सा है)

आविष्कार के लिए पेटेंट का आवेदन ये दे सकते हैं-कोई भी व्यक्ति,
जो आविष्कार का वास्तविक और प्रथम आविष्कारक होने का दावा करता है.